संचिका सं0–14/डी0एल0ए0 एक्ट–नीति (मुआवजा)–03/2014–............../रा0,

फैक्स/ई–मेल

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी सक्षम प्राधिकार (एन0 एच0 ए0 आई0)
–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकरी, बिहार।

पटना, दिनांकः–............./2018

विषयः– विभिन्न परियोजना हेतु शहरी क्षेत्रों से सटे "पेरिफेरल क्षेत्र" एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में गुणक फैक्टर (Multiplier Factor) के विनिश्चिय किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय संकल्प सं0–1143/रा0, दिनांक–23.10.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि RFCTLARR, Act 2013 की धारा–26 एवं 27 में भूमि के बाजार मूल्य/मुआवजा के निर्धारण से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाइयां को दूर करना) आदेश, 2015 {RFCTLARR (Removal of Difficulties) Order 2015} के अनुसार उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनिमितियों के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों में पहली अनुसूची के अनुसरण में प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची के अनुसारण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा तीसरी अनुसूची के अनुसरण में अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं से संबंधित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होंगे।

उक्त प्रावधानों के आलोक में RFCTLARR, Act 2013 की धारा–11, एन0 एच0 एक्ट, 1956 की धारा–3A, रेलवे संशोधन अधिनियम की धारा–20A एवं अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधनों के अन्तर्गत निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के आधार पर ही बाजार मूल्य/मुआवजा का निर्धारण किया जाना है।

2. प्रासंगिक विभागीय संकल्प के द्वारा किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में शहरी क्षेत्र, पेरिफेरल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अर्जन से प्रभावित हितबद्ध भू–धारियों को पारदर्शी तरीके से उचित एवं समानुपातिक प्रतिकर की राशि का भुगतान के उदेश्य से गुणक फैक्टर (Multiplier Factor) को विनिश्चित किया गया है।

3. उक्त प्रासंगिक विभागीय संकल्प के आलोक में बाजार मूल्य/मुआवजा का निर्धारण संकल्प निर्गत होने की तिथि अर्थात दिनांक–23.10.2018 के उपरान्त RFCTLARR, Act 2013, NH Act 1956 एवं Railway Act 1989/2008 एवं अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही प्रारंभिक अधिसूचनाओं के लिए ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–...................../रा0, पटना, दिनांक–...............................2018

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार, डी0–63, प्रथम तल, श्रीकृष्णापुरी, पटना–800001 एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–...................../रा0, पटना, दिनांक–...............................2018

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–...................../रा0, पटना, दिनांक–...............................2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।ह0/–

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–...................../रा0, पटना, दिनांक–...............................2018

प्रतिलिपिः– अधिशाषी अभियंता सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, तृतीय तल, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–1144/रा0, पटना, दिनांक–24.10.2018

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/10/18
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।